RAJYA SABHA

Friday, 31 March 1995/10 Chaitra 1917 (Saka)

The House met eleven of the Clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Take over of the Institute of Home Economics

*261. SHRI K. M. KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether requests for the take over of the Institute of Home Economics by the University of Delhi have been received by Government;

(b) if so, details and justification thereof; and

(c) what action Government propose to take thereon in the interest of students; and the details of the action proposed to be taken?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) No, Sir. However, such a request has been received by the University of Delhi from the Institute of Home Economics.

(b) and (c) The Society running the Institute has failed to meet its liabilities. The University Grants Commission on the recommendation of the University of Delhi would take a final decision in the matter having regard to the merits of the case.

SHRI K. M. KHAN: Sir, I would like to ask the hon. Minister whether the Institute of Home Economics is in deep financial crisis having a deficit of more than Rs. 1.8 crores at present. I would also like to know whether the Managing Committee has failed to pay its share of expenditure at the rate of five per cent for the last several years

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Sir, I have answered the main question and have said that the Society running the Institute, which is the Society mentioned by the hon. Member, has failed to meet its financial liability. It is a fact that the outstandings are of a very large order, almost, from the information I have, about Rs. 1.45 crores which is payable to the UGC. This is the uncleared management share. I believe, there is also a bank loan outstanding which has to be repaid. It also failed to pay its due share of five per cent. That is also a fact.

SHRI K. M. KHAN: My second supplementary is whether the Managing Committee has constructed a new building complex of the Institute at Hauz Khas as the existing building was not sufficient for the students. Has the Managing Committee taken a matching grant of the expenditure from the UGC as per the norms set by the UGC? Has the Managing Committee not been able to pay its share of the construction charges as per the existing norms of the UGC? Have they mortgaged the site with the Bank of Baroda, South Extension Branch for taking a loan of Rs. 70 lakhs?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Sir, from the information that I have with me, I find that the Society had earlier obtained permission from the UGC as far back as 1985 for the construction of a new building. The estimated cost was about Rs. 1.60 crores. And, as per the norms prevalent in affiliated colleges, 50 per cent of the construction cost is to be borne by the management and the other 50 per cent to be borne by the UGC. Accordingly, the UGC contributed its share of 50 per cent and released Rs. 71 lakhs as the first instalment. The balance amount will be released on completion of the work; the work is yet to be completed. The College, in the meanwhile, had obtained a term loan of Rs. 50 lakhs from the Bank of Baroda, which it has been unable to repay. A case has been filed in the Delhi High Court by the Bank of Baroda. Its liability to the Bank of Baroda works out to something around Rs. 91 lakhs, with the interest having accrued on that amount. So, all this has really contributed to a very unhealthy state of affairs in the Society so far as its finances are concerned. That is why problems have arisen.

श्री ओ. पी. कोहली : चेयरमेन साहब, मेरा प्रश्न यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स जिस गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, उसे इस गहरे आर्थिक संकट से निकालने के लिए युनिवर्सिटी ने और यू० जी० सी० ने कोई निर्देश दिए हैं और सरकार का इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स को इस गहरे आर्थिक संकट से निकालने के लिए किस उपाय या किस सुझाव का विचार है ? मुझे यह पता चला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स ने जो बिल्डिंग अपनी है, उसको भी मॉर्टगेज किया हुआ है और अभी तक वह मॉर्टगेज क्लीयर नहीं किया गया है । इस गहरे आर्थिक संकट से इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकॉनॉमिक्स जैसे इंस्टीट्यूट को जो कि दिल्ली में अपने किस्म का खास इंस्टीट्यूट है, अगर न निकाला गया तो इसका छात्रों के, शिक्षकों के भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस गहरे आर्थिक संकट से निकालने की उनके मन में क्या योजना है ?

श्री माधवराव सिंधिया: सर, यह जो बुनियादी विषय है, जो मामला है, वह यू.जी.सी. और दिल्ली युनिवर्सिटी के अंतर्गत है। सरकार का ज्यूरिस्डिक्शन प्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप करने का नहीं है पर तब तक क्योंकि ओवरऑल निगाह हमको रखना अनिवार्य हो जाता है, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है और यू०जी०सी० द्वारा हम कुछ ब्राड गाइडलाइंस उनको दे सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते है, चिट्ठियां लिख सकते है, ऑन ब्रॉड पालिसी ईश्यूज़, उस मकसद से यू०जी०सी० को भी हमने पत्र लिखा है इसके बारे में। आपने जो कहा कंस्ट्रक्शन कास्ट्स, जो लायबिलिटीज़ सोसायटी की थीं, वह सोसायटी चुका नहीं पा रही और काफी गहरे आर्थिक संकट में सोसायटी पड़ गई है । इस बीच में युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 94–95 में क्योंकि ऐक्युमुलेटेड डेफिसिट जो घाटा था और जो रुपया बकाया था वह काफी बड़ी संख्या में पहुंच चुका था, इसलिए यू०जी०सी० ने कहा कि हम 95 प्रतिशत 94–95 में देने के लिए तयार नहीं हैं। तो फिर सोसायटी ने रिस्पान्ड किया और सोसायटी ने एक रिजाल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि हम आपको यह गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको निःशुल्क ट्रांसफर करना चाहते हैं और इसके ऊपर फिर यू०जी०सी० ने सोचा कि हमें विचार करना अत्यावश्यक है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो ऐकेडेमिक स्तर है, जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वहां होम साइन्स में, वह एक अच्छे स्तर की है और 690 के लगभग हमारी कन्याएं वहां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और स्टाफ भी काफी भारी मात्रा में है, 50 फैकल्टी के मेम्बर हैं। तो इसलिए उनके इंटरेस्ट को मद्दे-नजर रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यू०जी०सी० ने सोचा कि इस बारे में री-कंसिडर किया जाए क्योंकि एक प्रस्ताव पास किया गया है पर उस प्रस्ताव में जो गिफ्ट माना जा रहा था जिसको मैं इनवर्टेड कौमा में डालना चाहता हूं, वह "गिफ्ट" सोसायटी ने तीन शर्तों पर रखा था और वे तीन शर्तें थीं कि कि तो जो लायबिलिटीज़ थीं जो कुछ ऋण चुकाना हो यूजी०सी० को जो ग्रांट देना था वह कि करोड़ 44 लाख रुपए हुआ है । और बैंक आफ बड़ौदा का जो रोल है वह सब लायबिलिटीज़ यू०जी०सी० ही उठाए । दूसरी शर्त थी कि कालेज जो आज के प्रीमिसिस में है वहां से शिफ्ट करके नये प्रीमिसिस में जाए और इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए । पता नहीं इस पर क्यों जोर दिया जा रहा था ? यह एक विचार का मुद्दा है । पर इस पर काफी जोर सोसायटी के मेंबर्स दे रहे थे कि यह जो प्रीमिसिस है, इसको रिक्त कर दिया जाए और नये प्रीमिसिस में इस इंस्टीट्यूट को ले लिया जाए । तीसरा था कि हमारी सोसायटी के पांच मेंबर्स गवर्निंग बाडी पर रहें । यह तीन शर्तें थीं । अब इन तीनों शर्तों को माना जाए या न माना जाए, इस लक्ष्य के लिए

युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने तय किया, एक्जीक्यूटिव काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तय किया कि हम एक कमेटी नियुक्त करेंगे और कमेटी इस पर विचार करेगी। दो-तीन दिन पूर्व ही वह कमेटी नियुक्त की गयी है और अब वह कमेटी इस पूरे मामले पर विचार करेगी कि इन तीन शर्तों को माना जाए या इनमें से सभी शर्तों को माना जाए या नहीं माना जाए, इन सब बातों पर विचार करके फिर एक्जीक्यूटिव काउंसिल को रिपोर्ट पेश की जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की और फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा।

बाण सागर परियोजना पर व्यय

*262. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर 1994 को स्थिति के अनुसार बाण सागर परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में और कितना समय लगने की संभावना है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Statement is laid on the table of the house.

Statement

The expenditure incurred up to 31-12-1994 on various components of the Bansagar Project and their schedule of completion are as under:—

Component	Expenditure incurred till 31-12-1994 (Rs. crores)	Anticipated date of completion subject to availability of required fund.
1. Bansagar Dam		
(a) Upto crest level	353.06*	June, 1996
(b) Complete with gates		June 1999
2. Bansagar Canals of M.P.	113.76	2005-2006
3. Bansagar Canals of U.P.	52.93	2002-2003
4. Bansagar-Tons Hydro Power		
(i) Power House-I (3x105 MW)	83.54	Already commissioned
(ii) Power House-II (2x 15 MW)		Actual commissioning of these Power Houses depends upon completion of Bansagar Dam.
(iii) Power House III (3x 20 MW)		
(iv) Powar House No. IV(2x10MW)		

*Includes Rs. 203.41 Crores towards civil works of dam and appurtentent works and Rs. 149.65 Crores towards land acquisition and rehabilitation and resettelment of oustees.

श्री जगन्नाथ सिंह: सभापति महोदय मैंने अपने प्रश्न के भाग "क" में यह जानकारी सरकार से चाही थी कि इस बाण सागर परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा। उसका उत्तर नहीं आया है। सभापति महोदय बाण सागर परियोजना एक वृहद परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश में 2.40 लाख हैक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश के लिए 1.24 लाख हैक्टेयर, बिहार

19**